झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुथ झारखण्ड विधान सभा — षोडश (मॉनसून) सत्र

संख्या-05 — शुक्रवार, दिनांक-26 जुलाई, 2019 ई०।

समय-10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.40 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाः-

श्री राधा कृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

2.आसन से नियमनः-

माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना का मूल विषय पलामू जिलान्तर्गत नवडीहा बाजार तथा छतरपुर प्रखण्ड में कतिपय पारा-शिक्षकों का हटाया जाना। सरकारी वक्तव्य के दौरान माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हुए तत्पश्चात् सदन की भावना को देखते हुए आसन द्वारा **इस विषय पर झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों की एक समिति गठित किये जाने की घोषणा की गयी जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी तब तक किसी भी पारा शिक्षक पर कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं होगी।**

3.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना(क्रमांक-01 से जारी):-

i- श्री नागेन्द्र महतो एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- डॉ0 इरफान अंसारी एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- श्री आलमगीर आलम, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv- श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

v- श्री कुणाल षडंगी, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

4.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम एवं अन्य द्वारा पारा शिक्षकों के सम्बन्ध में नियमावली बनाये जाने, माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारी के विरूद्ध अखबारों में छपे समाचार तथा माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव द्वारा पारा शिक्षकों से सम्बन्धित विषय पर दिये गये कार्यस्थगन प्रस्तावों को आसन के निदेश से उनके द्वारा पढ़े गये जिनके नियमानुकूल नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अमान्य कर दिये गये।

क्र०पृ०उ०

माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी द्वारा लाये गये विषय को लेकर पक्ष-विपक्ष में काफी नोंक-झोंक होने लगी जिससे भारी शोरगुल होने लगा। आसन द्वारा बार-बार प्रश्नकाल पुकारा गया, परन्तु अव्यवस्था का माहौल यथावत् कायम रहा अतएव सदन की कार्यवाही 11.14 बजे पूर्वा० से 12.00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

5.शून्यकाल:-

आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं को निम्न माननीय सदस्यों द्वारा आसन की अनुमति से पढ़ी गयी-

श्री जगरनाथ महतो,
श्रीमती निर्मला देवी,
श्री जानकी प्रसाद यादव,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री जय प्रकाश भाई पटेल,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
श्री दीपक बिरूवा,
श्री रवीन्द्रनाथ महतो,
श्री योगेश्वर महतो,
श्री अनंत कुमार ओझा,
श्री हरिकृष्ण सिंह,
श्री अरुप चटर्जी,
श्री बिरंची नारायण,
श्री आलमगीर आलम,
श्री इरफान अंसारी,
श्री राज कुमार यादव,
श्री विकास कुमार मुण्डा,
श्री राज सिन्हा,
श्री कुणाल षडंगी,
श्री प्रकाश राम,
श्री नारायण दास,
श्री शिव शंकर उराँव,
श्रीमती सीमा देवी,
श्रीमती बिमला प्रधान,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता एवं
श्री राम कुमार पाहन।

6.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना(क्रमांक-03 से जारी):-

i- श्रीमती सीमा देवी, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- श्री भानू प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv- श्री फूलचन्द मण्डल, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

v- श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

vi- श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ तदुपरांत विषय की गम्भीरता को देखते हुए इसे जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु ध्यानाकर्षण समिति को इस निदेश के साथ सौपा गया कि वह इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन एक माह के अन्दर देगी,

vii- श्री राज सिन्हा, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

viii- श्री अरुप चटर्जी एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ix- श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

7.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत आसन के निदेश से माननीय सभापति, श्री आलमगीर आलम द्वारा सरकारी आश्वासन समिति का 40वाँ एवं 41वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थाति किया गया।

8.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के अन्तर्गत निर्गत कठिनाईयों का निराकरण आदेश की एक प्रति सभा मेज पर उपस्थापित की गयी एवं

ii- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, श्री सरयू राय राय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में निहित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन-2017-18 (अप्रैल, 2017 से जून, 2018) की एक प्रति सभा मेज पर उपस्थापित की गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

9.गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के षोडश (मानसून) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी एवं सरकारी उत्तर के पश्चात् इन्हें वापस लिया गया:-

क्रम संख्या	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01	श्री अशोक कुमार	गंगा नदी से पेयजलापूर्ति करना	वापस

क्र०पृ०उ०

02	श्रीमती बिमला प्रधान	महिला शिक्षक प्रशिक्षक कॉलेज एवं बी. एड. कॉलेज की स्थापना	वापस
03	श्री नागेन्द्र महतो	पिछड़े वर्गो की आरक्षण सीमा बढ़ाना	वापस
04	श्री अमित कुमार मण्डल	दो राज्यों को जोड़नेवाली सड़क का निर्माण	वापस
05	श्री राज कुमार यादव	नीति-नियम बनाकर वन विभाग द्वारा ढ़िबरा माईका चुनने/खोदने पर रोक हटाना	वापस
06	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	जपला सीमेंट फैक्ट्री के जमीन पर नया उद्योग लगाना	माननीय सदस्य द्वारा वापस नही लिये जाने की स्थिति में ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।
07	श्री कुणाल षडंगी	शिबू रंजन खाँ डिग्री कॉलेज को स्थाई मान्यता अथवा नये कॉलेज की स्थापना	वापस
08	प्रो० स्टीफन मराण्डी	दुमका में हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना	वापस
09	श्री शिव शंकर उराँव	आदिम जनजाति समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए एक प्रतिनिधि का मनोयन	वापस
10	श्री ढुलू महतो	बाघमारा प्रखण्ड को बाँटकर राधानगर एवं राजगंज प्रखण्ड का निर्माण	वापस
11	श्री भानू प्रताप शाही	भवनाथपुर (टाउनशिप) में सीमेन्ट प्लान्ट खोलना	वापस
12	श्री फूलचन्द मण्डल	अधूरे पथ का निर्माण कराना	वापस
13	श्रीमती सीमा देवी	हिन्डालको फैक्ट्री के रेड मड पॉण्ड के दुर्घटना की जाँच सी.बी.आई. से कराना	वापस
14.	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	बालू माफिया पर नियंत्रण के साथ-साथ बनखन्जों से उसरी फॉल तक बराज का निर्माण	वापस
15	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	चन्द्रपुरा-धनबाद रेल लाईन के रास्ते राँची-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस का पुन: परिचालन	वापस
16	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन	विद्युत सब-स्टेशन को तत्काल प्रभाव से विद्युत आपूर्ति कराना	वापस
17	श्री जगरनाथ महतो	डुमरी अनुमण्डल को जिला बनाना	वापस
18	श्री आलमगीर आलम	जर्जर पथ की मरम्मति कराना	वापस
19	श्री राधा कृष्ण किशोर	आदिम जनजाति बालक छात्रावास भवन, छतरपुर में अध्यापन कार्य प्रारम्भ कराना	वापस
20	श्री जानकी प्रसाद यादव	आई.टी.आई. भवन, बोंगा में पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ कराना	वापस
21	डॉ० इरफान अंसारी	सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पथ	वापस

क्र० पृ०उ०

		निर्माण विभाग से कराना	
22	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	जर्जर सड़क का सुदृढ़ीकरण तथा मजबूतीकरण कराना	वापस
23	श्री अरुप चटर्जी	रोजगार के अवसर पर अपेक्षित कार्रवाई	वापस
24	श्री मनीष जायसवाल	गैर मजरूआ भूमि मामले में रैयतों के भूमि सम्बन्धी विषय पर समिति का गठन कराना	वापस
25	श्री ताला मराण्डी	कोल-ब्लॉक का अधिग्रहण रद्द करने तथा दोषियों पर कार्रवाई	माननीय सदस्य द्वारा वापस नहीं लिये जाने की स्थिति में ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।
26	श्री नलिन सोरेन	दुमका स्थित मसानजोर डैम के विस्थापितों हेतु न्यायिक आयोग का गठन तथा खेती हेतु भूमि उपलब्ध कराना	वापस
27	श्री सुखदेव भगत	लोहरदगा जिला मुख्यालय में बाईपास सड़क का निर्माण कराना	वापस
28	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	गढ़वा-रंगा विधान सभा में प्रखण्ड बनाना	वापस

माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण तथा श्री राम कुमार पाहन द्वारा दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अन्य विभागों में स्थानान्तरित किया गया।

10.समापन भाषण:-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने 16वें सत्र के अंत में अपने उद्गार को व्यक्त करते हुए सदन को अवगत कराया कि यह 16वाँ सत्र चन्द्रयान के प्रक्षेपण के ऐतिहासिक पलों के साथ शुरू हुआ था और आज इसका समापन कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ पर हो रहा है जो सौभाग्य की बात है। इन दोनों ही ऐतिहासिक क्षणों के लिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। कारगिल विजय का उल्लेख करते हुए उन्होंनें कहा कि देश की रक्षा में झारखण्ड के बहुत सारे सपूत शहीद हुए जिनपर देश को गर्व है।

पाँच दिनों तक चलनेवाले इस 16वें सत्र के दौरान खट्टे-मीठे पलों का आना-जाना होता रहा तथापि यह सत्र अत्यंत ही सार्थक रहा। जनता से जुड़े सवाल अधिक से अधिक लिये गये। इसमें एक विनियोग विधेयक सहित कुल-छः विधेयक पारित किये गये जिसमें सामान्य जाति के दस प्रतिशत गरीबों को आरक्षण दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है। बाबा वैद्यनाथ के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित विधेयक भी पारित हुआ जो झारखण्ड के लिए एक ऐतिहासिक विषय रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सत्र के दौरान लिये गये कुल-403 प्रश्नों में से 303 की स्वीकृति की गयी।। शून्यकाल की 114 सूचनायें, निवेदन की 25 सूचनायें और गैर-सरकारी संकल्प की 31 सूचनाओं के अतिरिक्त कुल-320 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये जिनमें 16 सूचनाओं पर वक्तव्य हुए, इनके सम्बन्ध में भी विस्तार से अपने अभिभाषण में समाहित किया।

कृ०पृ०उ०

अंततः राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों, मीडियाकर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं सत्र में सहयोग करनेवाले सभी पदाधिकारियों एवं व्यक्तियों को हार्दिक धन्यवाद दिया तथा आनेवाले पावन त्योहारों की भी अग्रिम बधाई दी तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

महेन्द प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 26 जुलाई, 2019 ई०।